




राज्य निर्वाचन आयोग


विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार के प्रधान ग्राम पंचायत तथा सदस्य ग्राम पंचायत, के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा अधिसूचना संख्या-582/रा0नि 0आ0-2/989/2009 दिनांक 27.05.2014 निर्गत होने के साथ ही तात्कालिक प्रभाव से जनपद हरिद्वार की उन ग्राम पंचायतों जिनमें निर्वाचन कराये जा रहे हैं, के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 27.05.2014 से दिनांक 20.06.2014 (मतगणना समाप्ति) तक आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभावी की जाती है।


(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या-583 / रा0नि0आ0अनु0-2/989/2009 तददिनांक। (फैक्स)
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
9. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), हरिद्वार।
10. महानिदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।


(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।